बिहार विधान-सभा वादवृत्त

[भाग—1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर]

शनिवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 1980 ई० ।

विषय-सूची ।

			पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 4(II) के परन्तुक के अन्तर्गत डा० जगन्नाथ मिश्र (मुख्य मंत्री) द्वारा अष्टम बिहार विधान सभा के प्रथम सत्र के 230 अनागत ता० प्रश्नों का सभा मेज पर रखा जाना ।		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :			
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या—1		...	1—5
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 39, 40, 61, 67, 88, एवं 100 ।	...	5—36

(2) जांच एवं कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र की प्रतिलिपि 18-7-80 को जिला पदाधिकारी सिवान को भेज दी गई है। साथ ही निगरानी विभाग को भी इसकी जांच कर एक प्रतिवेदन भेजने को कहा गया है।

बिहार असैनिक सेवा में पदों का विवरण

अ-8. श्री सरयु मिश्र—क्या मन्त्री, कार्मिक विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बिहार असैनिक सेवा में कुल कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पदाधिकारी उपलब्ध हैं, कितने पदाधिकारी अवकाश पर हैं, प्रतिवारित कितने पदाधिकारी हैं, एवं वरीय प्रवर कोटि में रिक्त पदों की संख्या कितनी है?

प्रभारी मन्त्री, कार्मिक विभाग—बिहार असैनिक सेवा संवर्ग के सम्बन्ध में सूचित करना है कि इस सम्वर्ग में कुल 2961 पद स्वीकृत है, तथा 2885 पदाधिकारी उपलब्ध हैं। इस सम्वर्ग में अवकाश रक्षित पद नहीं है। 2885 पदाधिकारी प्रतिवारित हैं एवं वरीय प्रवर कोटि में रिक्त पदों की संख्या शून्य है।

थाना प्रभारी के विरुद्ध कारंवाई

ए-38. श्री सत्यदेव नारायण आर्य—क्या मन्त्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि श्री राम लखन प्रसाद गुप्त, पैसर स्व० लालजी साहू, महल्ला बड़ी खगोल, थाना खगोल, जिला पटना ने थाना प्रभारी खगोल को एक संज्ञेय अपराध की लिखित सूचना दिनांक 6-3-80 को दिया था;

(2) क्या यह बात सही है कि थाना प्रभारी ने उस संज्ञेय अपराध को स्टेशन डायरी में अंकित कर चुप बैठ गये जिसका पी० एस० डायरी संख्या 82 दिनांक 6-3-80 है;

(3) क्या यह बात सही है कि थाना प्रभारी की इस लापरवाही और कर्त्तव्यहीनता के विरुद्ध श्री गुप्ता ने आवेदन पत्र वरीय आरक्षी अधीक्षक पटना को 10-4-80 और आरक्षी उप-अधीक्षक दानापुर को 26-5-80 को दिया था;